भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2832

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

अन्न मित्र तथा अन्न सहायता डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म

2832. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:
डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्न मित्र मोबाइल ऐप के उद्देश्य और मुख्य डिज़ाइन विशेषताएँ क्या हैं और यह किस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभार्थियों हेतु सुलभ बनाता है;
(ख) अन्न मित्र की वर्तमान कार्यात्मक स्थिति क्या है और इसका संचालन किन राज्यों और भाषाओं में, विशेषकर महाराष्ट्र में, हो रहा है;
(ग) प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु आरंभ किए गए अन्न सहायता प्लेटफ़ॉर्म की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और इसके प्रायोगिक चरण में किन-किन राज्यों और भाषाओं को शामिल किया गया है;
(घ) अन्न सहायता प्लेटफ़ॉर्म में एकीकृत की गई तकनीकी कार्यक्षमताओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) अन्न मित्र तथा अन्न सहायता डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत कुल कितने लाभार्थियों को शामिल किए जाने का अनुमान है और इनके विकास तथा कार्यान्वयन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): अन्न मित्र मोबाइल ऐप, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण परिचालन डाटा उपलब्ध कराके सशक्त बनाता है। यह ऐप उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलरों, खाद्य निरीक्षकों और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों (डीएफएसओ) द्वारा क्षेत्र-स्तरीय निगरानी, स्टॉक प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

...2/-

अन्न मित्र की प्रमुख डिज़ाइन विशेषताएँ - इसे निम्नलिखित के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- क्षेत्र-स्तरीय संचालन, स्टॉक ट्रैकिंग और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करना
- राशन कार्डों का लेनदेन सारांश, लाभार्थी प्रबंधन और अन्य हितधारक सूचना
- निरीक्षण मॉड्यूल, फ़ीडबैक और रेटिंग मॉड्यूल
- ज़िले से एफपीएस स्तर तक स्टॉक स्तर प्रबंधन

ये विशेषताएँ ऐप को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाती हैं:

- कठिनाइयाँ को कम करना और मैन्युअल कागजी कार्रवाई को समाप्त करना
- डाटा एक्सेस के माध्यम से निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना

अन्न मित्र अंततः सभी प्रमुख पीडीएस हितधारकों को एक एकल, सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाता है, जिससे सेवा वितरण में पारदर्शिता, गति और दक्षता में सुधार होता है।

वर्तमान में, अन्न मित्र ऐप चार प्रायोगिक राज्यों - उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम और पंजाब में कार्यान्वित है और दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में उपलब्ध है। इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है।

(ग) से (ङ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत शुरू किया गया अन्न सहायता प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) से संबंधित एक संरचित और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करता है, जो व्हाट्सएप और आईवीआरएस सेवाओं का लाभ उठाता है। तकनीकी दृष्टिकोण से इसकी प्रमुख विशेषताओं में व्हाट्सएप और आईवीआरएस चैनलों के माध्यम से शिकायत पंजीकरण और उचित प्रशासनिक स्तरों पर शिकायतों की समय पर ट्रैकिंग और समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय एस्केलेशन मैट्रिक्स जैसी कार्यक्षमताएँ शामिल हैं। यह प्लेटफॉर्म पाँच प्रायोगिक राज्यों, गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और वर्तमान में पाँच भाषाओं, अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तेलुगु और बांग्ला में शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जाएगा।

अन्न सहायता प्लेटफॉर्म से एनएफएसए लाभार्थी आधार के एक बड़े भाग, अर्थात् शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू होने पर लगभग 80 करोड़ लोगों को उत्तरोत्तर लाभ मिलने की परिकल्पना की गई है। प्रायोगिक चरण कार्यान्वयन के लिए अन्न सहायता का बजट आबंटन लगभग 86 लाख रुपये है और अन्न मित्र ऐप के लिए 52 लाख रुपये है।

*****